BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL
BENCH AT NAINITAL

Present: Hon'ble Mr. Rajendra Singh

-------Vice Chairman (J)

REVIEW PETITION NO. 03/NB/SB/2023

In

CLAIM PETITION NO. 164/NB/SB/2022

Arvind Kumar, aged about 47 years, s/o Sri Suresh Pal Singh, presently posted as S.H.O. P.S. Rikhrikhal, Distrit Pauri Garhwal.

……Petitioner

vs.

1. State of Uttarakhand through its Secretary, Home, Secretariat, Dehradun.
2. Director General of Police, Headquarters, Dehradun.
3. Deputy Inspector General of Police, Kumaon Region, Nainital.
4. Senior Superintendent of Police, District Udham Singh Nagar.

……..Respondents

Present: Sri Anil Kumar Joshi, Advocate, for the Review applicant
Sri Kishore Kumar, A.P.O., for the Respondents

JUDGMENT

DATED: JULY, 05, 2023

This review petition has been filed by the review applicant to review the judgment and order dated 17.05.2023, passed by this Tribunal in Claim Petition No. 164/NB/SB/2022.

2. The review applicant in his review application has taken the following grounds:

2.1 The learned Tribunal while deciding the claim petition has not considered the fact that the application so made by Jasbir Kaur was forwarded to Women Help Line by the then Chouki In-Charge, Anil Kumar for appropriate action in the matter and Women Help Line after examining the complaint and making the investigation has not come to the conclusion that the FIR should be registered in the matter rather the Women Help Line has submitted the report that the parties have arrived to a conclusion. On the date of submission of report by Women Help Line i.e. 29.1.2021, the petitioner was not holding the post of Station House Officer, Thana Gadarpur and he was transferred from Thana

Gadarpur on 21.1.2021, therefore the petitioner cannot be held responsible for not registration of FIR.

2.2 The learned Tribunal has failed to appreciate that the complaint of Jasbir Kaur was since forwarded to Women Help Line, Rudrapur for counseling in the matter and subsequently the report to that effect was also given to S.S.P. Rudrapur but since no direction was issued by the S.S.P. Rudrapur for registration of FIR, therefore the FIR was not registered as the matter was pending consideration before the Women Help Line, who works directly under the control of S.S.P. and also reports to the S.S.P. and since no direction was issued nor any opinion has been given by the Women Help Line for registration of FIR, therefore during the tenure of the petitioner as SHO, Gadarpur the FIR was not registered.

2.3 The learned tribunal has failed to appreciate that the FIR registered after the order of the learned Additional District Judge/Special Magistrate POCSO Rudrapur, District Udham Singh Nagar under Section 156(3) of Cr.PC was not registered on the basis of complaint made in December 2022 rather the same was registered on the basis of complaint made to the S.S.P. on 18.3.2021.

2.4 In the order dated 07.4.2021, the learned Additional District Judge/Special Magistrate POCSO Rudrapur, District Udham Singh Nagar has recorded a finding that for registration of FIR under POCSO Act there must be a credible evidence regarding the age of the victim. In the impugned complaint there is no evidence regarding age of the victim, thus the matter was forwarded to Women Help Line.

2.5 The learned Tribunal has not considered the provisions contained under Section 154 of Cr.P.C. which provides that if the concerned Thana failed to register the FIR the S.S.P. is authorize to investigate the matter himself or authorize some person.

2.6 The learned Tribunal has not given any finding on the point raised by the petitioner in his claim petition.

2.7 The earlier complaint of December 2020 rightly or wrongly disposed by the Women Help Line and the finding arrived by the Women Help Line was not reverse by a superior authority, therefore, the petitioner who was transferred before the conclusion of the proceeding before Women Help Line which works

directly under the control of S.S.P., there is no legal authority vested upon the petitioner for registration of FIR.

2.8 The learned Tribunal has failed to appreciate that the learned Additional District Judge/Special Magistrate POCSO Rudrapur, District Udham Singh Nagar while passing the order for registration of FIR has not settled any responsibility for non registration of FIR on the basis of application moved by the complainant in December 2020 rather the factum brought on record by way of application dated 18.3.2021 were considered alone for registration of the FIR, thus no adverse order can be passed against the petitioner for not registering the FIR.

2.9 Even after submission of the report dated 18.1.2021 by Sub Inspector, Anil Chauhan to Senior Superintendent of Police, Udham Singh Nagar no direction was issued by S.S.P. Udham Singh Nagar for registration of FIR, thus the petitioner cannot be held liable for non registration of FIR, when the Sub. Inspector, Anil Chauhan who was investigating the matter has concluded that no offence is made and there is no necessarily of any police action on the complaint made by Smt. Jasbir Kaur. The conclusion arrived by Sub Inspector, Anil Chauhan can only be rejected by the S.S.P. to whom the report was submitted but no such order was passed by the S.S.P. Udham Singh Nagar, thus the punishment as awarded to the petitioner is patently illegal and erroneous.

3. The review applicant prayed for to recall the judgment and order dated 17.5.2023 and allow the claim petition in the interest of justice.

4. The review application has been opposed on behalf of the respondents. It has been stated that the judgment passed by this Tribunal is correct and there is no scope of review, as the scope of review is very limited.

5. The Tribunal vide its judgment and order dated 17.05.2023 has already considered the points raised by the review applicant in the following paragraphs:

> ''11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि श्रीमती जसबीर कौर द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र गुरविन्दर सिंह आदि के विरूद्ध अपनी नाबालिग पुत्री गुरनीत कौर को बहला–फुसलाकर अगवा कर जबरन गुरूद्वारे में शादी करने व उसके साथ बलात्कार करने एवं गर्भपात कराने आदि के आरोपों के साथ थाना गदरपुर में दिसम्बर, 2020 में दिया गया लेकिन थाना गदरपुर एवं उसके अन्तर्गत पुलिस चौकी महतोष में प्रार्थिनी शिकायतकर्ता की

शिकायत दर्ज नहीं की गयी, जिसके बाद प्रार्थिनी श्रीमती जसबीर कौर द्वारा एक प्रार्थना पत्र समान आधारों के साथ वरिष्ट पुलिस अधीक्षक रूदपुर उधमसिंहनगर को दिया गया जो पत्रावली पर संलग्नक–4 है और जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा थाना प्रभारी गदरपुर को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर अन्दर 7 दिन में रिपोर्ट देने हेतु आदेशित किया गया था, इसके बावजूद भी संबंधित थाना गदरपुर एवं उसके अन्तर्गत पुलिस चौकी महतोष पर प्रार्थिनी के शिकायती प्रार्थनापत्र पर मामला पंजीकृत नहीं किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थिनी श्रीमती जसबीर कौर द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्द प्रक्रिया संहिता संबंधित न्यायालय में दिया गया और न्यायालय के आदेश पर थाना गदरपुर में मामला पंजीकृत किया गया जिसके संबंध में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड देहरादून के संज्ञान में मामला आने पर उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को प्रश्नगत प्रकरण थाना गदरपुर में अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत होने पर प्रकरण काफी पुराना देखते हुए जांच कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया और इसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र को प्रेषित की गई, जिनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करने के संबंध में किसी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कृत्य कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया जैसा कि पत्रावली पर संलग्न 9 से स्पष्ट है और जिसके पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध उधमसिंहनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और जिनके द्वारा सम्पूर्ण जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष गदरपुर उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार व चौकी प्रभारी महतोष उपनिरीक्षक अनिल चौहान को मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने हेतु दोषी पाया।

12. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि दौराने जांच उपनिरीक्षक अनिल कुमार द्वारा अपने बयान में जांच अधिकारी को यह बयान दिया गया कि ''**मैं दिनांक 29.08.2020 से थाना गदरपुर में नियुक्त हूं तथा थाने में नियुक्ति से अब तक जसबीर कौर पत्नी दानसिंह निवासी बरीराई नारायणपुर दोहरिया कभी भी कोई शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर मेरे पास अथवा उस हल्के में नियुक्त किसी भी कर्मचारी के पास नहीं आई। माह दिसम्बर, 2020 में पुलिस कार्यालय शिकायत प्रकोष्ठ से उक्त महिला का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जो जांच हेतु मुझे मिला था मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित होने के कारण तत्कालीन थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार काउंसलिंग के लिए महिला एवं बाल हैल्प लाईन रूदपुर को प्रेषित कर दिय गया था**''।

13. उक्त गवाह के उक्त बयानात पूरी तरह अविश्वसनीय है जिसमें इनके द्वारा श्रीमती जसबीर कौर द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर मेरे पास व किसी भी हल्के में किसी भी कर्मचारी के पास आने से इन्कार किया गया, जबकि उपनिरीक्षक अनिल चौहान द्वारा एक प्रार्थना पत्र महिला हैल्पलाईन रूद्रपुर में दिनांक 22.12.2020 को इस आशय का प्रेषित किया गया कि ''**जसबीर कौर पत्नी सरदार दानसिंह निवासी बरीराई नारायणपुर दोहरिया गदरपुर उधमसिंहनगर ने पुलिस थाना हाजा आकर एक किता तहरीर बावत प्रार्थिनी की पुत्री के पति गुरविन्दर सिंह, भाभी संदीप कौर, मां सरजीत कौर, द्वारा प्रार्थिनी की पुत्री के साथ गाली गलौच व मारपीट करने का दिया गया**''। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली पर कागज सं0 53 है जो दिनांक 22.12.2020 को उपनिरीक्षक अनिल चौहान द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया और जिसे तत्कालीन थानाध्यक्ष याचीकर्ता द्वारा भी दिनांक 22.12.2020 को समिट किया गया जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर के कार्यालय से जो शिकायती प्रार्थना पत्र पृष्ठांकित करके थानाध्यक्ष गदरपुर को भेजा गया वह दिनांक 23.12.2020 को भेजा गया है।

14. अब जहां तक याचीकर्ता को प्रार्थिनी के उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मामला पंजीकृत नहीं करने का दोषी ठहराये जाने का प्रश्न है, के संबंध में शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र कागज सं0 40 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायती प्रार्थना पत्र के तीसरी पंक्ति से ही शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लिखित किया गया है ''दिनांक 17.03.2020 को प्रार्थिनी की पुत्री गुरनीत कौर इन्टर कालेज गदरपुर में 12वीं की परीक्षा देने गयी

थी जिसकी जन्मतिथि 24.08.2003 है''। आगे शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के प्रथम पैरा के अन्तिम पक्तियों में व द्वितीय पैरा के प्रारम्भ में यह भी उल्लिखित किया गया है कि **''प्रार्थिनी की पुत्री को गुरविन्दर सिंह, सुखचैन सिंह, मलकीत सिंह व सरजीत कौर एंव संदीप कौर द्वारा आये दिन मारपीट करने लगे व शारीरिक तौर पर गुरविन्दर प्रताड़ित करने लगा था जबरन बलात्कार करता व शरीर पर दांत से काटता जिससे प्रार्थिनी की पुत्री को अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती। माह जून, 2020 में गर्भ ठहर गया जिस पर गुरविन्दर सिंह द्वारा जबरन बलात्कार करने पर रक्तस्राव होने पर उसका ईलाज नहीं कराया गया**''।

15. प्रार्थिनी के उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा अपनी पुत्री गुरनीत कौर के नाबालिग होने व उसकी जन्मतिथि 24.8.2003 होना अकिंत किया गया था तथा उसकी जबरन गुरूद्वारे में शादी करना, बलात्कार करना एवं गर्भपात करवाने जैसे आरोप लगाये गये, के बावजूद याचीकर्ता तत्कालीन थानाध्यक्ष गदरपुर द्वारा उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना हाजा में पंजीकृत न करते हुए पुलिस चौकी महतोष प्रेषित किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किए बिना ही प्रार्थना पत्र जांच हेतु उपनिरीक्षक अनिल चौहान पुलिस चौकी महतोष को भेजा गया अन्यथा नाबालिग बालिका की अवस्था को देखते हुए और उसका जबरन विवाह करने और उसके साथ बलात्कार आदि जधन्य अपराध कारित करने की गम्भीरता को देखत हुए मामला पंजीकृत किया जाना चाहिए था लेकिन याचीकर्ता द्वारा थानाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार दायित्व से बचने के लिए, मामला संबंधित चौकी को प्रेषित किया गया जिससे जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में याचीकर्ता द्वारा प्रकरण में संवेदनशीलता को न देखते हुए नाबालिग के प्रकरण को तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करने का दोषी पाया गया और जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा याचीकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका स्पष्टीकरण याचीकर्ता द्वारा दिया गया लेकिन याचीकर्ता का स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण एवं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचीकर्ता को अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, विवेकहीनता, अर्कमण्यता, अनुशासनहीता एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक पाते हुए उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एंव अपील) नियमावली 1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14(2) के अन्तर्गत चरित्र पंजिका में घोर परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 16.06.2022 को आदेश पारित किया गया और जिसकी विभागीय अपील याचीकर्ता द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत की गयी और जिनके द्वारा भी याचीकर्ता को शिकायतकर्ता के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से मा0 न्यायालय के आदेश पर दर्ज किये जाने हेतु जो घोर परिनिन्दा प्रविष्टि दी गयी, को सही पाते हुए अपील निरस्त की गयी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा नाबालिग बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध के प्रति संवेदनशीलता न दिखाते हुए घोर लापरवाही कारित की गयी, तदनुसार विपक्षीगण संख्या 4 व 3 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध पारित उपरोक्त लघू दण्ड आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नही है। अतः याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है।"

6. The claim petition was decided by this Tribunal after hearing the arguments of both the parties. The Tribunal in its judgment has considered each and every point on the basis of facts available on record and thereafter, detailed judgment was passed on merits. Moreover, the complaint filed by the complainant was regarding her minor daughter against the accused. The petitioner instead of registering the complaint of

the complainant, deliberately referred the matter to Mahila Help Line, Rudrapur, which shows the carelessness on the part of the petitioner, for which, the punishment of censure entry was given by the Disciplinary Authority, finding him guilty of not registering the FIR.

7. There is little scope for review applicant in review. Review applicant can succeed only when he is able to show that there is arithmetical or clerical mistake in the judgment sought to be reviewed. Review applicant can also get relief, if it could be shown that there is error apparent on the face of record.

8. I do not see either any clerical mistake or any error apparent on the face of record, in the order sought to be reviewed.

9. By filing present review petition, review applicant seeks to argue the claim petition afresh, which is not permissible in law.

10. Review petition fails and is dismissed.

(RAJENDRA SINGH)
VICE CHAIRMAN (J)

DATE: JULY 05, 2023
DEHRADUN
KNP